



अंचल अधिकारी का कार्यालय KODERMA , KODERMA (झारखंड)

झारखंड सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति/दाखिला हेतु आवेदन करने के लिये अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को जाति प्रमाणपत्र

सन्दर्भ संख्या : JHCSC/2021/133558

जारी करने की तिथि : 14/12/2021

प्रमाणित किया जाता है कि RITESH KUMAR पिता : ARUN PASWAN , ग्राम/नगर: GUJHANDI थाना : TELAIYA, जिला/प्रमंडल KODERMA , राज्य/संघशासित प्रदेश : JHARKHAND , झारखंड राज्य में यथा अनुमोदित अनुसूचित जाति के अधीन DUSADH जाति के सदस्य हैं तथा Hinduism (धर्म) को माननेवाले हैं।

2. RITESH KUMAR तथा/अथवा उनका परिवार साधारणतया झारखंड राज्य के ग्राम/नगर : gujhandi, थाना : telaiya, जिला/प्रमंडल : में निवास करते हैं।
3. यह प्रमाणपत्र अगले आदेश तक या झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति की सूची में कोई परिवर्तन होने तक वैध होगा।

टिप्पणी: क. यहाँ प्रयुक्त पद 'साधारणतया निवासी' का वही अर्थ होगा, जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 20 में है एवं अंकित स्थान आवेदक के स्व-घोषणा पर आधारित है।

ख. जाति प्रमाणपत्र जारी करने के लिये सक्षम प्राधिकारियों की सूची निम्नवत् निर्दिष्ट है:

- (i) जिला दंडाधिकारी/अपर दंडाधिकारी/उपायुक्त/अपर उपायुक्त/अपर समाहर्ता/प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी/अनुमंडल दंडाधिकारी/कार्यपालक दंडाधिकारी/ सहायक समाहर्ता एवं सहायक दण्डाधिकारी
- (ii) अंचल अधिकारी

ग.

बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 23 और 24 के अधीन क्रमशः पाँचवीं और छठी अनुसूची द्वारा यथासंशोधित संशोधन आदेश 1950 (अनुसूचित जातियों के लिये) तथा संशोधन आदेश 1950 (अनुसूचित जनजातियों के लिये) तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 2002 द्वारा गठित झारखंड में रिक्रियों और पदों (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये)के लिये आरक्षण अधिनियम 2001 ।

अंचल अधिकारी KODERMA का डिजिटल हस्ताक्षर

स्थान : KODERMA

तिथि :14/12/2021